

संख्या : 1109 / 1-10-12-33(392) / 2011टी0सी0-I

प्रेषक,
अशोक कुमार,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
जिलाधिकारी,
सहारनपुर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ : दिनांक : 14 मई, 2012

विषय: जनपद हरिद्वार में गंगा नदी के भीमगौडा बैराज के दांये एफलक्स बंधे एवं रतमऊ नदी के दांये मार्जिनल बन्ध आदि की सी0आर0एफ0 मद के अंतर्गत पुर्नस्थापना कराये जाने हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सिंचाई अनुभाग-2 के पत्र संख्या-4258/11-27-सिं- 2-160बाढ़/ 11, दिनांक 3 जनवरी, 2012, जिसकी प्रतिलिपि आपको भी पृष्ठांकित है के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति की बैठक दिनांक 08.05.2012 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्नलिखित 02 परियोजनाओं के लिये, अप्रत्याशित बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अर्ह एवं अनुमन्य श्रेणी की सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की पुर्नस्थापना/मरम्मत हेतु निम्नलिखित प्रतिबंधों एवं शर्तों के अधीन क्रमशः रू0 7,54,91,000/- (रूपये सात करोड़ चौवन लाख इक्यानवे हजार मात्र) आपके निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क्र0 सं0	विभाग का नाम	योजना का नाम	लागत धनराशि (रू0 में)	स्वीकृत धनराशि (रू0 में)
1	सिंचाई विभाग (मुख्य अभियंता (गंगा) उ0प्र0 मेरठ)	जनपद हरिद्वार में गंगा नदी में आयी अप्रत्याशित बाढ़ के कारण भीमगौडा बैराज का अफलक्स बंधे कि0मी0 0.00 से 0.900 के मध्य कट होने के कारण इस बंधे की उक्त रीच की पुर्नस्थापना एवं 05 अदद स्टड का निर्माण कार्य।	10,11,10,000 / -	5,05,55,000 / -

2	सिंचाई विभाग (मुख्य अभियंता(गंगा) उ०प्र० मेरठ)	जनपद हरिद्वार के भगवानपुर धनौरी मार्ग के अस्ट्रीम में रतमऊ नदी का दायां माजिर्नल बंध एवं टाई- अप स्पर भी क्षतिग्रस्त होने के कारण उक्त माजिर्नल बंध की पुर्नथापना एवं 08 अदद स्परों के निर्माण कार्य।	4,98,72,000 / —	2,49,36,000 / —
		कुल योग	15,09,82,000 / —	7,54,91,000 / —

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक-विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. उक्त धनराशि का व्यय शा०प०सं०-78/पी०एस०आर०/2012, दिनांक 24.01.2012 के साथ संलग्न पत्र संख्या-32-7/2011-NDM-1, दिनांक 16.01.2012 में भारत सरकार की गाइडलाइंस में निर्धारित एवं अर्ह मानक मदों एवं शासनदेश संख्या-2785/1-10-2011-12(73)/2008 दिनांक 14-10-2011 के अनुसार ही किया जायेगा।

4. बाढ़ से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अर्ह एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत मद में धनराशि निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही व्यय किया जायेगा। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय।

5. वर्ष 2011-12 में बाढ़/बादल फटने से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत/रेस्टोरेशन की परियोजनाओं को 30 दिन व अधिकतम 45 दिन में अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लिया जाय तथा नियमानुसार उपभोग प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाय। आपदा राहत निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा। तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यों की परियोजनाओं को खण्डों में कदापि विभाजित नहीं किया जायेगा, अपितु निरन्तरता वाले विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जायेगा।

6. कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एक मुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना, व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा राहत निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

7. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/ 1-11-2005-रा0-11, दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट पर <http://rahat.up.nic.in> पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते संभावित हों तो उन्हें दिनांक 31 मार्च, 2013 से पूर्व शासन को समर्पित कर दिया जाय।

8. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

9. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(अशोक कुमार)

प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या : 1109(1)/1-10-2012-33(374)/2011टी0सी0-।। तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को यूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा)/महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2. मण्डलायुक्त, सहारनपुर।

3. सचिव, सिंचाई/राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

4.विशेष सचिव, सिंचाई अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।

5.आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र० लखनऊ।

6.वरिष्ठ वित्त अधिकारी राहत आयुक्त कार्यालय।

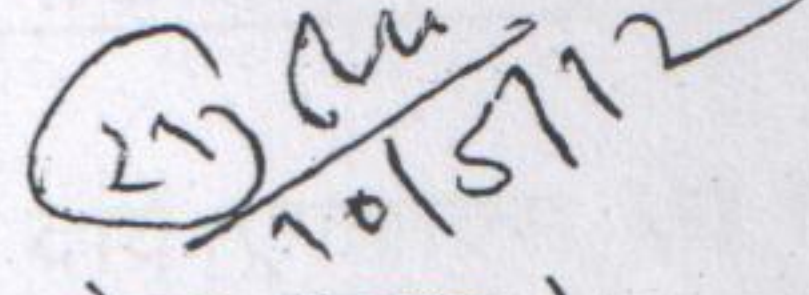
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, सहारनपुर।

8.वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5

9.राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11।

10.तकनीकी निदेशक एन०आई०सी० योजना भवन लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि राहत वेबसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,



(राजेन्द्र प्रसाद)

अनुसचिव ।